SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Mr. Chairman, Sir, 28 villages were completely uprooted to build the capital city of Chandigarh in 1950s. The displaced persons, having lost their hearths and homes, settled in the adjoining villages. In most cases, they are now being uprooted again along with other lower-middle class families settled in these villages to make way for further development. While the Chandigarh U.T. Administration's policies have led to abnormal sky-rocketing of prices of real estate, the poor residents of these villages are sought to be deprived of their modest dwelling units for a pittance. Such development which would result in rendering poor residents houseless would be iniquitous. The minimum that local oustees deserve is a plot of equivalent size in the developed area -- not just a few thousands of rupees for a plot which can be sold for lakhs.

I urge the Government to instruct the Chandigarh Administration to frame a just and equitable rehabilitation policy before displacing people of their small plots of land through acquisition. Land-owners must now become partners in progress and development.

16.40 hrs.

PREVENTION OF INSULTS TO NATIONAL HONOUR (AMENDMENT) BILL, 2005 AND STATE EMBLEM OF INDIA (PROHIBITION OF IMPROPER USE) BILL, 2004

MR. CHAIRMAN : The House shall now take up Items 13 and 14 together. The Minister of Home may move that the Bills be taken into consideration.

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित) : सभापति महोदय, मैं गृह मंत्री जी की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने
वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

" कि वृत्तिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भारत के राज्य संप्रतीक के अनुचित
प्रयोग का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक
पर विचार किया जाए।"

राष्ट्रीय प्रतीकों को जलाने, कुचलने अथवा विकृत करने के लिए सार्वजनिक रूप से किए गए अपमानजनक कृत्यों को दंडित करने के लिए राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 अधिनियमित किया गया था। इसकी धारा 2 में अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय झंडे के अपमान अथवा उसके प्रति अनादर के लिए दंड की व्यवस्था है। राष्ट्रीय झंडे के प्रति अनादर का एक कृत्य राष्ट्रीय झंडे का किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के भाग के रूप में प्रयोग करना या उसे गद्दियों, रूमालों, नेपिकनों या किसी ड्रेस सामग्री पर काढ़ना या छापना है।

सामान्यतया आम नागरिकों, और विशेषतया खिलाड़ियों, से समय-समय पर यह मांग होती रही है कि वे अपनी ड्रेस, हेडगीयर, टी-शर्ट, वैस्ट आदि पर राष्ट्रीय झंडे को प्रदर्शित कर उसके प्रति अपना प्रेम और स्नेह व्यक्त करना चाहते हैं। गृह मंत्रालय से संबंधित विभागीय संसदीय समिति का भी यह विचार था कि उक्त अधिनियम की धारा 2 के स्पष्टीकरण 4 (ङ) द्वारा लगाए गए प्रतिबंध आम जनता और खिलाड़ियों को हतोत्साहित करने वाले हैं।

इसलिए यह प्रस्ताव है कि राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 (2003 में संशोधित) की धारा 2 के नीचे स्पष्टीकरण 4 (ङ) में संशोधन किया जाए ताकि यह व्यवस्था की जा सके कि जनता अपनी पोशाक पर सम्मानपूर्वक ढंग से राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग कर सके और साथ ही यह सुरक्षा उपाय भी किया जा सके कि राष्ट्रीय झंडे का प्रयोग किसी प्रकार की पोशाक या वर्दी के भाग के रूप में या कमर के नीचे पहने जाने वाली किसी प्रकार की वस्तु पर न किया जाए और न ही गद्दियों, रूमालों, नेपकिनों, अंगवस्त्रों या किसी ड्रेस सामग्री जैसी दैनिक उपयोग की किसी वस्तु पर कढ़ाई या छपाई के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाए।

भारत का राज्य संप्रतीक सरकार की अधिकृत मुहर है। किसी दस्तावेज या वस्तु पर इसकी छाप होने से यह धारणा बनती है कि यह सरकार का कोई सरकारी दस्तावेज अथवा वस्तु है। इसलिए, अनधिकृत व्यक्तियों द्वारा इसके प्रयोग को रोकने की आवश्यकता है। विधायन के अभाव के कारण पहले भी भारत के राज्य संप्रतीक के दुरुपयोग के अनेक मामले सरकार के ध्यान में आए हैं।

प्रस्ताव है कि भारत के राज्य संप्रतीक के प्रयोग को विनियमित करने हेतु एक स्वतः पूर्ण विधायन लाया जाए ताकि :

(i) सेवानिवृत/पूर्व सरकारी पदधारियों/लोकसेवकों आदि सहित जनता द्वारा इसके प्रयोग को निषिद्ध किया जा सके, जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा विशिष्टि रूप से प्राधिकृत न किया गया हो;

(ii) व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों तथा उनसे संबंधित या प्रासंगिक मामलों के लिए भारत के राज्य संप्रतीक के दुरूपयोग को निषिद्ध किया जा सके ; और

(iii) सरकारी कृत्यकारियों द्वरा इसके प्रयोग को विनियमित किया जा सके।

प्रस्तावित विधायन में दांडिक उपबंध भी शामिल हैं जिनके अनुसार ऐसे किसी व्यक्ति को, जो भारत के संप्रतीक का अनाधिकृत/अनुचित प्रयोग करता है अथवा व्यावसायिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए प्रयोग करता है, दो वर्ष तक की जेल अथवा 5000/- रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है।

श्रीमान, इन शब्दों के साथ, मैं राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005 तथा भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग निवारण) विधेयक, 2005 को इस माननीय सदन द्वारा अनुमोदित किए जाने की संस्तुति करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:

"कि राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 में और संशोधन करने
वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

" कि वृत्तिक और वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भारत के राज्य संप्रतीक के अनुचित
प्रयोग का प्रतिषेध करने और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों वाले विधेयक

पर विचार किया जाए।"

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति जी, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005 तथा भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग निवारण) विधेयक, 2005, इन दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों का हार्दिक समर्थन करता हूं। देश की आजादी को हमने हजारों कुर्बानियों के पश्चात, अंग्रेजों की लाठियां खाने के पश्चात, अंडमान की काल-कोठरियों के अत्याचार सहन करने के पश्चात, हजारों माताओं की गोदें सूनी होने के पश्चात, हजारों सुहागिनों के सुहाग के उजड़ने और हजारों लोगों के फांसी के तखते पर झूलने के पश्चात पाया है। हजारों लोगों को "वंदे मातरम्" और "जयहिंद" कहते हुए अंग्रेजों की गोलियों का सामना करना पड़ा था लेकिन उन्होंने "वंदे मातरम्" और "जयहिंद" कहना नहीं छोड़ा था।

ऐसा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है और मैं उसके सम्मान वाली बात कहना चाहता हूं। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, फिर हमारा राष्ट्रीय ध्वज चुना गया और उसके बाद हमारा राष्ट्रीय संप्रतीक चिन्ह, राज्य संप्रतीक चिन्ह चुना गया। ये सभी हमारी राष्ट्रीय अस्मिता के प्रतीक हैं। जिस प्रकार हमारा संविधान

16.50 hrs. (Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

हमारे लिए पवित्र दस्तावेज है और उस संविधान के द्वारा सारे देश का शासन और राजकाज चलता है, उसी प्रकार से सविंधान में वर्णित हमारे राष्ट्रीय ध्वज की पहचान की गई है और वह हमें प्राणों से भी प्यारा है। यह ध्वज

कितना निराला है? इसके ऊपर का रंग केसरिया है, बीच में सफेद और नीचे का रंग हरा है तथा बीच में गहरे नीले रंग का चक्र हमारी एकता का प्रतीक, प्रेम का प्रतीक, समन्वय का प्रतीक सबसे सुंदर, सबसे मोहक, सबसे आकर्षक है, जिसे देखते ही हमारे अंदर बलिदान की भावना आ जाती है, इसको देखते ही त्याग की भावना हिलोरे लगाने लगती है, जिसे देखते ही हजारों रणबांकुरे सीमाओं की रक्षा करने वाले, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए, जय हिंद ध्वज को फहराते हुए प्राणों की बाजी लगा देते हैं, ऐसा पवित्र ध्वज जो हमारे लिए आदरणीय है, उसका अपमान हम कभी सहन नहीं कर सकते।

महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, वह देश समाज या राष्ट्र की शक्ति है। यह सांप्रदायिक सौहार्द, संवैधानिक और राजनैतिक पहचान का प्रतीक है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, जब राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एथेंस में निशानेबाजी में रजत पदक प्राप्त किया था, उस समय ऐसा मालूम पड़ता था कि उनके हाथ में विजय का चिह्न रजत पदक है, लेकिन उन्होंने जब तिरंगे के अंदर लपेटकर उसे अपने हाथ में लिया और लाखों लोगों की उपस्थिति में भारत का तिरंगा ध्वज एथेंस में फहराया, तब हम लोगों को लगा कि करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्यवर्धन सिंह राठौर हमारे लिए प्रतीक चिह्न लेकर आए हैं। यह राष्ट्र की शान है। यह तिरंगा भारत की आन, बान और शान का प्रतीक है। यह तिरंगा कभी झुकने न पाए, यह तिरंगा कभी अपमानित न हो, यह हम सभी का कर्तव्य है।

मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि पहले हम तिरंगे का प्रयोग केवल राष्ट्रीय दिवसों पर ही करते थे, 26 जनवरी - गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त - स्वतंत्रता दिवस, 2 अक्टूबर - गांधी जी का जन्म दिवस, ऐसे राष्ट्रीय अवसरों या विशेष अवसरों पर तिरंगे का प्रयोग किया जाता था। हमारी राजमुद्रा पर, जो हमारा संप्रतीक चिन्ह है, उसका विशेष अवसरों पर ही प्रयोग करते थे। हमारे मित्र श्री जिंदल एवं जनरल साहब सामने बैठे हुए हैं, उनके मन में विचार आया कि जिस प्रकार अमेरिका, इंग्लैंड या फ्रांस में वहां के लोग अपने राष्ट्रीय ध्वज को राष्ट्रीय दिवसों के अतिरिक्त भी अपने भवनों के ऊपर, अपनी अट्टालिकाओं के ऊपर, अपने वाहनों के ऊपर और अपने दूसरे साधनों के ऊपर प्रयोग करके गौरव का अनुभव करते हैं और उससे हर समय उनको प्रेरणा प्राप्त होती है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज से भारतवासियों को भी उसी प्रकार से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए आज्ञा प्राप्त होनी चाहिए, जिससे हम राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कर सकें। उन्होंने वर्ष 1995 में एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दायर की और 10सालों तक जूझते रहे। उसका परिणाम यह हुआ कि वर्ष 2003-04 में यह फैसला हुआ कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय दिवसों के अलावा, विशिष्ट अवसरों के अलावा, अपनी अट्टालिकाओं के ऊपर, बड़े-बड़े भवनों के ऊपर या वाहनों के ऊपर ससम्मान फहराया जा सकता है। इसके बाद क्रिकेट के खेल में भी इसी प्रकार की घटना हुई। इसके लिए मैं जनरल साहब को बधाई देना चाहता हूं। क्रिकेट का खेल हिंदुस्तान और पाकिस्तान में हुआ, उसमें भी भारतीय खिलाड़ियों ने बड़े जोश के साथ तिरंगे ध्वज को अपने कपड़ों पर लगाया, अपने सिर के ऊपर लगाया और

इसका प्रयोग करने लगे। गांगुली ने भी इस संबंध में आज्ञा मांगी। सभी ने कह दिया, बीसीसीआई ने कह दिया कि गृह मंत्रालय अधिकार देगा , तभी हमारे खिलाड़ी अपनी हैट के ऊपर, अपने बल्लों के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने गणवेश के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं।

वह मामला गृह मंत्रालय के अन्दर गया और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने आज्ञा दी कि क्रिकेट के खिलाड़ी अपने बल्ले और हैट के ऊपर इसका उपयोग कर सकते हैं। कमर के ऊपर के हिस्से में उसका उपयोग किया जा सकता है, कमर के नीचे के हिस्से में उसका उपयोग हरगिज नहीं किया जा सकता है। इन्हीं बातों को वैधानिकता, प्रामाणिकता प्रदान करने के लिए, संवैधानिक ढांचे के अनुरूप लाने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग अधिकाधिक अच्छे अवसरों पर हो, अपमान न हो, यह बिल आया है। कौन-कौन सी बातें इसमें कही गई हैं, जिन बातों से बचा जा सके, उसे बताया गया है। राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग छोटे-छोटे कार्यों पर नहीं किया जा सकता। उसे कोई रूमाल के अन्दर, नैपकिन के अन्दर उपयोग न करे। कोई हीरो या हीरोइन गलत कार्यों में उसका दूरुपयोग न कर सके, ऐसा इसमें उल्लेख किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग कुशन आदि में न किया जाए। कमर से ऊपर जो वस्त्र अच्छे माने जाते हैं, उनके ऊपर शोभा के लिए अलंकरण के लिए, प्रेरणा प्राप्त करने के लिए, देशभक्ति की भावना जगाने के लिए या दूसरों के अन्दर पैदा करने के लिए राष्ट्रीय ध्वज का उपयोग किया जा सकता है।

महोदय, क्रिकेट के मैच आप और हम सब देखते हैं। जब सब के बीच भारत जीतता हुआ दिखायी देता है तो और भारत का झंडा सारे खेल प्रेमी मिल करक लहराते हैं तो आपके और हमारे दिलों में एक प्रेम का संचार होता है। "वास्तव में जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रस धार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं।" हमें स्वदेश का प्यार देने के लिए, स्वदेश भक्ति की भावना जगाने के लिए, स्वदेश के लिए प्राण न्योछावर करने के लिए, स्वदेश की शान को ऊंचा रखने के लिए तिरंगा ध्वज हमेशा प्रेरणा देता रहा है। वह हमारे महापुरुषों की कुर्बानी, हमारे क्रंतिकारियों के क्रंतिपूर्ण कार्यों की याद दिलाता है। जो देशभक्त फांसी पर चढ़े, चाहे सूली पर चढ़े, रामप्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि " सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिलों में है, देखना है कितना जोर बाजुए कातिल में है।" चाहे शहीद भगत सिंह हों, चन्द्रशेखर आजाद हों, सुभाष चन्द्र बोस हों, महात्मा गांधी हों, जवाहर लाल नेहरू हों, बाबा साहेब अम्बेडकर हों, चाहे दूसरे बड़े-बड़े क्रंतिकारी सावरकर बंधु हों, जिन्होंने भारत माता के लिए अपने प्राणों को गंवा दिया था, उन सब के बलिदानों को याद दिलाने वाला हमारा ध्वज है। राष्ट्रीय ध्वज की आन, बान, शान की मर्यादा का पालन होना चाहिए। मैं इसका तहेदिल से पूरा समर्थन करता हूं। आगे आने वाले समय में जब भी यह ध्वज लहराए तो हम सब खड़े रहें। उसे किस समय फहराना है, ऑफिसेज में भी उसकी मर्यादा का पालन करना चाहिए। उसकी मर्यादा हमारे राष्ट्र की मर्यादा है। राष्ट्रीय ध्वज के पीछे जो भाव हैं, जो उसके अलग-अलग रंग हैं, उन रंगों में जिन बातों की प्रेरणा दी गई है, हम उन बातों को हम जीवन में

धारण करें। हमारा देश एक समाज, एक राष्ट्र और एक शक्तिशाली राष्ट्र है, हम यह कह सकें। तब हम कह सकेंगे कि जिस प्रकार नदियों में गंगा सर्वश्रेष्ठ है, नागों में शेषनाग सर्वश्रेष्ठ है, वृक्षों में कल्पवृक्ष सर्वश्रेष्ठ है, सब देशों का सरताज मेरा देश भारतवर्ष है। यह हम गौरव के साथ कह सकें।

कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से नागालैंड तक हम सब लोग भारत के प्रति शान की बात रखें। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कभी-कभी आन्दोलन चलते हैं तो कुछ लोग जोश में होश भूल जाते हैं और राष्ट्रीय ध्वज को जला देते हैं। यह बड़ा भारी अपमान है। ऐसे अपमान करने वाले लोगों को, चाहे वे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने वाले हों, या संविधान का अपमान करने वाले हों चाहे प्रतीक चिन्हों का अपमान करने वाले हों या जो हमारी राष्ट्रीय मुद्रा तीन शेर वाली, सारनाथ वाली, प्रेरणा देने वाली है, उनका दुरुपयोग करने वाले लोगों के खिलाफ जो सजा का प्रावधान है उसका सख्ती से पालना करना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और इसके साथ जो समय का वर्णन किया गया है, उसका भी समर्थन करता हूं।

17.00 hrs.

मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं। मेरी बात सिर्फ एक मिनट की रह गई है। देश में राष्ट्रीयता की भावना कम होती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ा पेड़ था, उस पेड़ पर हजारों पक्षी बैठे हुए थे। एक अज्ञानी व्यक्ति वहां से जा रहा था। उसके हाथ में मिट्टी के तेल का कनस्तर था। उस व्यक्ति पर अज्ञानता का भूत सवार हुआ और उसने दियासिलाई निकाली ओर मिट्टी का तेल पेड़ पर छिड़क दिया। पेड़ जलने लगा और हजारों पक्षी चीं-चीं करने लगे। उस रास्ते में आप जैसा व्यक्ति जा रहा था, तो हमारे जैसे व्यक्ति ने कहा -

"आग लगी इस पेड़ को जलने लगे पात
तुम क्यों जलते पखेरूओ पंख तुम्हारे साथ।"

तब आप जैसे मनीषी ने उत्तर दिया -

"फल खाए इस पेड़ के गन्दे कीने पात
यही हमारा धर्म है जलें इसी के साथ।"

इसलिए मातृभूमि की खातिर हम सब मिट जाएं। श्री माखन लाल चतुर्वेदी ने ठीक कहा है

"चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं
चाह नहीं प्रेमी माला में बिध प्यारी को ललचाऊं
चाह नहीं सम्राटों के शव पर हेहरी डाला जाऊं
चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं
मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर देना मुझे फेंक
जिस पर जावे मातृभूमि को शीश चढ़ाने वीर अनेक "

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

SHRI NAVEEN JINDAL (KURUKSHETRA): Thank you Deputy Speaker Sir, for granting me permission to speak on this very important Bill of national

importance. Sir, I rise to support the Prevention of Insult to National Honour (Amendment) Bill, 2005.

It is a historical Bill and it is a Bill which is very-very close to my heart. I am very-very grateful to the hon. Home Minister for introducing this Bill.*(Interruptions)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : आप हिन्दी में बोलते तो बहुत अच्छा लगता। ... (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) .*

श्री शैलेन्द्र कुमार : आप हिंदी में बोलते तो अच्छा होता। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

... (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र कुमार : राष्ट्रीयता की बात हो रही है। अगर आप हिंदी में बोलते तो अच्छा होता, ऐसी मेरी भावना है। ... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यह सदस्यों पर निर्भर करता है कि वे किस भाषा में बोलना चाहते हैं। He can speak either in English, Hindi, Punjabi or whichever language he likes. Do not interrupt, it is his maiden speech.

(Interruptions)

श्री नवीन जिन्दल : मैं बीच में हिंदी में भी बोलूंगा। जब आप लोग बोलते हैं तो मैं किसी की बात में बीच में रुकावट नहीं करता। आप सब से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आज जो मैं बोल रहा हूं मेरी बात को ध्यान से सुनें। यह इश्यू मेरे हृदय के बहुत नजदीक है। आप इसे ध्यान से सुनें। मैं बीच में हिंदी में भी बोलूंगा।

I would like to thank all the hon. Members of the Parliamentary Standing Committee on Home Affairs, who unanimously supported this Bill. The Chairperson of the Committee also wrote to the Home Minister on this. I am very-very grateful to all of them. I would like to start by sharing my experience. In

* Not Recorded.

1990 I was in the United States of America. I was so inspired by seeing the Americans displaying their National Flag all over their homes and offices with so much of pride and affection. I used to draw so much of inspiration from them. Seeing the Americans flying their National Flag with so much of pride, I also wanted to fly an Indian Flag in America. An American friend of mine gifted me an Indian Flag in America and I cannot explain the happiness, the joy, the inspiration I felt when first time - I was 20 years old at that time. जब मैंने तिरंगा झंडा हाथ में लिया तो उस वक्त जो मेरी भावनाएं थी, मैं उसे बता नहीं सकता लेकिन उसे हम सब अनुभव कर सकते हैं। I was then the President of my University and I wanted to display the Indian Flag in the American University of Texas in Dallas. When I wanted to display the Indian Flag there, I had an apprehension. I thought, if I fly an Indian Flag in America maybe people will object to it. I asked the people there, 'was it okay if I flew an Indian Flag here?' They said that there was no problem. They told me that it was cool and I could fly it there. So, for one year I kept on flying the Indian Flag in America and I used to feel so happy every time I saw the flag. When I came back to India in 1992 and wanted to fly the Flag in a factory premise in Raigarh, in Madhya Pradesh at that time, I was stopped.

Sir, I flew the flag on the 26th of January, like Shri Rawat said that it was allowed to be flown only on certain occasions. I flew the flag on 26th January, 1993. Next day when I was walking by that place I saw that the flag was not there. I asked as to why the flag was removed. I was told that we could fly the flag only

on certain days of the year. I said it was all right. But after having walked a few steps I thought as to why we should be allowed to fly the national flag only on certain days of the year. While in America we could fly our national flag everyday, in India - just because I want to show my love for and my faith in my country - why can we not fly the national flag everyday? I turned back and said that they should keep flying the national flag everyday and that we would see who stops us from doing so. For the next one and half years, everyday we flew the national flag in our company premises. I just wanted to show that by flying the national flag in the company premises all the people working there will get a feeling that they not only are working for the company, but also working for the country. To inculcate this feeling amongst us all, I wanted to fly the flag. But the Government authorities always kept stopping me, sometimes the Collector, sometimes the Superintendent of Police wanted to stop me from flying the national flag. But I said that if we could not fly our own national flag with pride and honour in our own country, then where else in the world would we be allowed to do so?

Sir, one day the Commissioner, Bilaspur was visiting Raigarh and he sent for the Superintendent of Police and got the flag removed from the company premises. Then I was only 24 years old. When I was told in Delhi that the flag had been removed, I was in tears. I felt, `what is this? In our own country can we not fly our national flag?' At that time I filed a Writ Petition in the Delhi High Court against this. This Writ Petition was decided by the Delhi High Court in seven months and the court issued a *mandamus* stopping the Government from interfering with my right to fly the national flag.

Sir, what stopped us from flying the national flag was the Flag Code of India. The Flag Code of India is merely Executive instructions issued by the Home Ministry. The Prevention of insults to National Honour Act, 1971 states that if any person in public view burns, mutilates, defaces, tramples upon or says words, spoken or written, against the flag, then it is showing disrespect for the national

flag. But if one is respectfully flying the national flag, then he or she is not dishonouring the national flag in any way.

After the judgement of the Delhi High Court, the Government of India approached the Supreme Court and the Supreme Court put a stay on the judgement of the High Court. But I continued to fly the national flag even though I have the highest regard and respect for the Supreme Court. I got a legal opinion from a very senior counsel and he said that it would not amount to contempt of the Supreme Court. So, I continued to fly the national flag. The Collector of Raigarh had complained to the Home Ministry about this and the Home Ministry filed a contempt of Supreme Court case against me and the Superintendent of Police, Raigarh gave a report - उच्चतम न्यायालय के आदेश के बावजूद राष्ट्रीय ध्वज पूर्ण राष्ट्रीय भावना के साथ फहराना जारी है। इसमें उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना है परन्तु राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान किया जा रहा है और फिर मुझपर कंटैमट केस कर दिया। Then my lawyer said, अब थोड़े दिन के लिये झंडा उतार दो। मैंने कहा कि आपने तो लीगल ओपीनियन दिया था कि हम झंडा लगा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट का कोई कंटैमट नहीं होगा। The Counsel said, "this is just to be on the safe side." I said, `No, I do not want to be on the safe side and I feel very strongly about it. I want to fly the national flag and I want to be inspired by my national flag everyday of the year.' The matter went on for seven years in the Supreme Court and I am very happy to inform you all, though all of you are already aware, that on 23rd January, 2004, the Supreme Court of India declared it as a Fundamental Right under Freedom of Speech and Expression of article 19 (1) of the Constitution of India.

I want more and more people, because it is the greatest symbol of our country, to display the national flag and most importantly, live by the ideals of the national flag. When I say ideals, I mean by the ideals of the national flag and the

ideals of the flag are the same as that of our Republic. It represents the ideals of secularism, democracy, justice, liberty, equality and fraternity as enshrined in our Constitution. It is the greatest symbol of unity in diversity. जब कोई व्यक्ति अपने घर पर राष्ट्रीय ध्वज दर्शाता है तो वह धर्म से ऊपर उठकर, अपने राजनैतिक दल से ऊपर उठकर केवल यह दर्शाता है कि उसे देश से प्यार है, वह सच्चा हिन्दुस्तानी है। हमारा झंडा हमेशा अपने राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की हम हमेशा याद दिलायेगा। उसके बाद जब मैं यह संघर्ष कर रहा था millions of people, cutting across party lines, have supported me in this cause for which I am grateful to them. I am very grateful to Shrimati Sonia Gandhi. She also supported me in my cause for the struggle for being able to fly the national flag.

मैं बताना चाहूंगा कि यह इतिहास में पहली बार है कि जब हमें यह अधिकार मिला है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को लगा सकें। आज से हजारों साल पहले चाहे रामराज्य था, चाहे अशोक का राज्य था, चाहे मौर्य का राज्य था या फिर मुगलों का राज्य था, हमेशा हमारे ऊपर राजाओं का राज रहा और झंडा भी राजा का ही रहा। प्रजा को झंडे के इस्तेमाल की इजाजत कभी नहीं मिली थी। लेकिन जब हमारा देश आजाद हो गया, एक गणतंत्र हो गया, गणतंत्र बनने के बाद जैसा रावत साहब ने कहा कि हमारे देश को आजाद करने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी और उसमें हमारे राष्ट्रीय ध्वज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन आजाद होने के बाद, एक प्रजातंत्र बनने के बाद, रिपब्लिक बनने के बाद भी हमारा राष्ट्रीय ध्वज केवल एक सरकारी ध्वज बनकर रह गया। सिर्फ जो लोग

सत्ता में थे, वही लोग इसे अपने घरों पर लगा सकते थे। इतिहास में पहली बार हमें मौका मिला है कि हम सब लोग अपने-अपने घरों पर अपने देश के सबसे बड़े प्रतीक को दर्शा सकते हैं और उससे प्रेरित होकर देश के लिए काम कर सकते हैं। मेरे मन में यही है, मेरा सपना यही है कि राष्ट्रीय ध्वज से प्रेरित होकर मैं अपना काम सही ढंग से करूं, ईमानदारी से करूं, देश के हित को आगे रखकर करूं, आप अपना काम करें, पुलिसकर्मी अपना काम करें, अध्यापक अपना काम करें, यदि ऐसा हो जाए तो मैं समझता हूं कि हमारा देश विश्व के सबसे अच्छे देशों में आ सकता है। इन्हीं भावनाओं को लेकर, इस बात को लेकर हम आगे चल रहे हैं।

22 जुलाई, 1947 को जब पंडित जवाहर लाल नेहरू ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज बनाने के लिए यह मोशन मूव किया था तो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था -

> "I remember, and many in this House will remember, how we look up to this flag not only with pride and enthusiasm but with tingling in our veins and also how when we were sometimes down and out, the sight of this flag gave us courage to go on. Then, many who are not present here today, many of our comrades who have passed held on to this flag, some amongst them even unto death, and handed it over as they sank, to others to hold it aloft."

And Sarojini Naidu had said:

> "Remember, under this flag, there is no prince and there is no peasant; there is no rich and there is no poor; there is no privilege, there is only duty, responsibility and sacrifice. Whether we be Hindus, Muslims, Christians, Jains, Sikhs or Zorastrians and others, our Mother India has one undivided heart and one indivisible spirit."

उस राष्ट्रीय ध्वज को जिसके बारे में हमारे फाउंडिंग फादर्स ने इतना कुछ कहा, वह एक सरकारी ध्वज बनकर रह गया था। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा सपना साकार हुआ। हम हर रोज अपने राष्ट्रीय ध्वज को दर्शा सकते हैं। आज जो यह बिल इंट्रोडयूस किया गया है, जैसा रावत साहब ने कहा कि जब सचिन तेंदुलकर ने अपने हेलमैट के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज पहन रखा था तो वर्ष 2003 में जो उस समय सरकार थी - Out of their concern for the dignity of the flag, they made some amendments in the Prevention of Insults to National Honour Act which got included under Section (ii), Explanation IV, Clause 'e'. If any person wears a national flag on his clothes or gets it embroidered, then it is disrespect to the national flag which will be punishable. I felt that it was incorrect. It may be that out of their concern to protect the dignity of the flag this was done. But I feel that this needs to be amended. मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज जो जैकेट मैंने पहन रखी है, I was a member of the Indian shooting team which went to Busan for the Asian Games. You will notice that the Indian Olympics Association gave us a jacket to wear. You will see that the *chakra* was missing in that jacket and only the three colours were there because we were not allowed to do it. Now, when the *chakra* is missing, then it is a half-hearted flag and that is why our performance is also half-hearted. Since the *chakra* is missing, the medals are also missing. When we go and represent our country internationally, I often see कि जितने भी देशों से लोग आते हैं, सब बड़े गौरव से अपने-अपने देश का झंडा पहनते हैं और उससे प्रेरित होकर वे लोग काम करते हैं। जब सचिन तेंदुलकर या माननीय सदस्य सिद्धू जी भी आज तिरंगे को नहीं लगा सकते, जबकि दिल्ली में या मुम्बई में देखेंगे तो पायेंगे कि लोग अमरीका का फ्लैग टीशर्ट पर पहन कर

घूम सकते हैं, पाकिस्तान का फ्लैग पहन कर घूम सकते हैं, यू.के. का फ्लैग पहन कर घूम सकते हैं। लेकिन यदि कोई तिरंगा झंडा पहन कर घूमता है तो उसमें आपत्ति है। उस समय मैंने माननीय होम मिनिस्टर को रिक्वैस्ट की थी और पार्लियामैन्ट्री स्टैन्डिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के सभी मैम्बर्स से मैंने रिक्वैस्ट की थी कि इस मुद्दे को हम लें। मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस बात को माना। मैं सरकार का भी बहुत आभारी हूं कि कैबिनेट ने इस बिल को अप्रूव किया और पार्लियामैन्ट में इसे इंट्रोडय़ूस किया। इसलिए मैं इस राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005 का पुरजोर समर्थन करता हूं।

इसके बाद हमारे घरों में हर व्यक्ति, बच्चे और बड़े सब लोग अपनी टी शर्ट्स पहन सकेंगे जिस पर राष्ट्रीय ध्वज होगा। जब मैं अमेरिका में था तो मैंने वहां पर एक टी शर्ट खरीदी थी जो अमेरिका में बनी थी और जिस पर भारत का झंडा बना था। ऊपर अंग्रेज़ी में इंडिया लिखा था और नीचे हिन्दी में सत्यमेव जयते लिखा था। अगर हम हिन्दुस्तान में हिन्दुस्तान के झंडे वाली टी शर्ट खरीदना चाहें तो वह यहां उपलब्ध नहीं होगी क्योंकि ऐसा करने पर जेल होती है। मेरा मानना है कि इतिहास में पहली बार हमें अवसर मिला है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज को दर्शा सकते हैं और इससे प्रेरित होकर देश के लिए काम कर सकते हैं। दुख की बात यह है कि पहली बार यह मौका मिला है फिर भी बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, उतनी ज्यादा देश प्रेम की भावना बढ़ेगी। हम चुनावों में देखते हैं

कि कोई कांग्रेस का झंडा लगाता है तो वह कांग्रेस को वोट देता है। किसी और पार्टी का झंडा लगाता है तो उसको वोट देता है और उसको सपोर्ट करता है। इसलिए हम सब इंडिया का झंडा लगाएं, इंडिया के लिए वोट करें और इंडिया के लिए सपोर्ट करें। हम यह न पूछें कि हमारे देश ने हमारे लिए क्या किया है बल्कि हमारा झंडा हमेशा याद दिलाता रहेगा कि हमने अपने देश के लिए क्या किया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब पहले सेन्ट्रल हाल में स्मोकिंग अलाउड थी, तब मैंने स्पीकर साहब से रिक्वैस्ट की कि जब इसके लिए कानून है कि स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए तो उन्होंने वह बंद करा दी। जब मैं उनका धन्यवाद करने के लिए गया तो उन्होंने कहा कि यह जो आपने पहन रखा है राष्ट्रीय ध्वज का बैज, यह पहनना यहां पर अलाउड नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इतना सब केस जीतने के बाद भी दस साल संघर्ष करने के बाद मैं संसद में भी पहुंच गया और संसद में आकर मुझे बोल रहे हैं कि राष्ट्रीय ध्वज पहनना अलाउड नहीं है। उन्होंने मुझे एक किताब दिखाई और Rule 349 of Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha के अंतर्गत लिखा था कि किसी तरह का बैज नहीं पहन सकते हैं। मैंने उन्हें समझाने का प्रयास किया कि यह बैज नहीं है यह तो लेपल पिन है। उन्होंने कहा कि आप रूल्स चेन्ज करवाना चाहते हैं तो चिट्ठी लिखिये। मैंने उनको चिट्ठी लिखी और इस बात को 16 महीने हो चुके हैं। अभी भी बहुत से मैम्बर्स ने लेबल पिन पहन रखा है। मैं समझता हूं कि यह सदन हमारे प्रजातंत्र का मंदिर है। अगर यहां पर हम अपने देश का सबसे बड़ा प्रतीक गर्व से नहीं पहन सकेंगे तो कहां पहन सकेंगे? अमेरिकन प्रैजीडैंट जार्ज बुश या प्रैजीडैंट मुशर्रफ

या अन्य कई प्रमुख अपने अपने देश का झंडा हमेशा गर्व से पहनते हैं। हम किसी भी राजनीतिक दल से हों, हम किसी भी धर्म से हों, लेकिन सबसे पहले हम हिन्दुस्तानी हैं। इसके लिए हमने एक नोटिस भी दिया था। इस नोटिस को 120 सांसदों ने हस्ताक्षर किया था। करीब पांच-छः रिमाइंडर भी हम इसके लिए दे चुके हैं। मैं प्रार्थना करूंगा कि रूल्स कमेटी में इसको टेकअप करके हमारे देश के सर्वोत्तम प्रतीक को संसद में पहनने दिया जाए। इसके लिए कवि राजेश चेतन ने कहा है कि -

" जब सांसद संसद में सीने पर तिरंगा लगाएगा, तो संसद में दंगा करते कुछ तो शरमाएगा।" हम किसी भी राजनीतिक दल से हों, हम सभी का एक ही उद्देश्य है कि हम अपने देश के लिए काम करें, देश की सौ करोड़ जनता की भलाई के लिए काम करें और जब हम राष्ट्रीय ध्वज लगाकर आएंगे तो यह हमें हर पल इस बात की याद दिलाता रहेगा। इसलिए जल्दी से जल्दी सदन में भी इसकी परमीशन दी जाए। मैं एक बार फिर इस बिल का समर्थन करता हूं।

जो दूसरा बिल है - भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक, मैं इसका भी पुरज़ोर समर्थन करता हूं। कई बार हमारे सांसद अपनी कार पर इसको लगाते हैं तो वह भी इसका मिसयूज़ है। उसके लिए पहले कोई कानून नहीं था, लेकिन अब जो बिल इंट्रोडयूस किया गया है इसके बाद कानून सख्त कर दिया जाएगा। पहले सिर्फ 500 रुपये जुर्माना था। कई बार पूर्व सांसद या रिटायर्ड अधिकारी भी सारनाथ से लिए गए शेर के चिह्न का मिसयूज़ करते थे। उससे ऐसा लगता था कि सरकारी काम हो रहा है। इसके गलत प्रयोग के

लिए पहले केवल 500 रुपये का जुर्माना था जो इसको रोकने में असमर्थ था। अब इसको बढ़ाकर 5000 रुपये किया जा रहा है और यदि कोई बार बार इसका मिसयूज़ करेगा तो दो साल की सज़ा का प्रावधान भी रखा गया है। मैं इसका समर्थन करता हूं। संसद की गृह मंत्रालय की स्थायी समिति में भी इस पर पूर्ण समर्थन था। सभी की आम सहमति थी, ताकि इसका दुरुपयोग न हो। मैं दोनों बिलों का समर्थन करता हूं। I request this august House to pass both these Bills unanimously. हम सभी को आम सहमति से समर्थन करना चाहिए।

SHRI P. KARUNAKARAN (KASARGOD): Sir, I am very glad to support Prevention of Insults to National Honour (Amendment) Bill, 2005. I also congratulate our Minister for bringing in such a Bill in this House. I think, there is no reservation in any side of this House with regard to the passing of this Bill.

Sir, it is true that the history of the National Flag has the history of the freedom struggle itself. But I do not want to go into the details. It is after Independence that we have the National Flag, the National Emblem, and also the Constitution of our own. Any citizen of India, whether he is inside the House or whether he is in the country or outside, he is bound to respect our National Flag, our National Emblem and also our Constitution. It is true that without respecting and giving dignity to these sectors and without giving due importance to the freedom of India, no party or no person can survive. I want to give some more instances.

There is no doubt that there is no reservation at all with regard to the merit of this Bill. We have the Bills; we have the Acts. But I want to know from the hon. Minister whether the Government is able to implement, take action when the National Flag or the National Emblem or the Constitution is insulted, disgraced and defaced in any part of the country. It is true that some of the party Members, whether knowingly or unknowingly, think that their flag is higher than the

National Flag. It is not an easy thing. I am not joking. I think, in this House itself, we, the Members from Kerala, raised the question with regard to disgracing of the National Flag. We have the instances. I do not want to name the Minister. Last year, in Calicut at Karipoor airport, it happened in the presence of the Minister who had arrived at the airport. Thousands of people were there to receive him. I do not know why these people had gone there. The Reporters, Media persons, the photographers and the Press Reporters were there. They wanted to see the Minister; they wanted to give the reports. But no Media person was allowed to go to the airport. Not only that, they were beaten up. I do remember the name of that woman Reporter, Ms. Deba, of Asianet. Her dress was destroyed and even all the Media persons were taken away. It can be seen in the Visual Media. It was reported in the newspapers that a good number of people have shown their enthusiasm. They climbed to the top of the airport and instead of the National Flag, they hoisted the flag of a political party, that is, the Muslim League flag. The story does not end there. We raised the issue here. Some of them went to court. It is very wonderful to hear that the Government has gone to the court saying that there was nothing wrong and nothing has been done there. If we go to the Visual Media, we can see that instead of the National Flag, it is the flag of Muslim League which was flying. It was really disgracing and defacing of the National Flag. In the Bill that you have brought in here, it is seen:

> "Whoever in any public place or in any other place within the public view burns, mutilates, defaces, defiles, disfigures, destroys, tramples upon or otherwise shows disrespect to or bring into contempt the Indian National Flag or the Constitution of India or any part thereof shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both."

I want to know from the hon. Minister whether the Government concerned or the persons concerned or the police concerned are able to take action any time. I do not want to take any political advantage out of this issue. It is not a question of the Muslim League or the CPI (M) or the BJP or the Congress. It is the question of

the National Flag. We discuss this issue with due importance. At the same time, the Government is giving some instructions to the Public Prosecutor. They are going to the court and saying that there is nothing wrong in it. Can we take into consideration this view of the Government? The National Flag is fully destroyed, disgraced and defaced. What is your reply? So, we can pass this Bill, no doubt. Members from all sides - from the Opposition side and the Treasury side - have great pleasure in passing this Bill.

We congratulate the hon. Minister for bringing forward this measure. But, at the same time, I would like to know whether the Government concerned is ready to take action when it is required. We raised the issue here itself. (*Interruptions*) Members of Parliament raised the issue here itself. The fact is that the media persons were beaten at that time. There was no reason for that. I am really wondering why it is so! It was because of the presence of one or two Ministers there. So, when it comes within the purview of the Government, what is the duty of the Government? What is the duty of the police? What is the duty of the officers? Should they take action or not? It means that they are not ready to give due importance to the National Flag. They are really safeguarding and protecting the persons who are destroying the image of the National Flag.

With this strong criticism, I fully support this Bill. Thank you.

SHRI KHARABELA SWAIN (BALASORE): It is a matter of shame for the State Government.. (*Interruptions*)

SHRI SHARANJIT SINGH DHILLON (LUDHIANA): *Mr Deputy Speaker Sir, I thank you for allowing me this opportunity. Government has brought this Bill. This is a very good Bill. But this is not enough. I am sorry to say that many people use the national flag for their personal benefit. National flag is respected by all. Many steps should be taken to ensure that it is indeed respected. It should be accorded respect in a proper way. Sir, as we have seen, on 15th August and 26th January, we should accord respect to national flag in a proper way. But sometimes it is not done. . (Interruptions).

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : यह जो बोल रहे हैं, वह बिलकुल सही नहीं है।.(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : वे अनपार्लियामेंट्री नहीं बोल रहे हैं।

.(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

*(Interruptions)*** .

SHRI SHARANJIT SINGH DHILLON : It is generally said that when we are hoisting the national flag, our heads should be covered by either handkerchief or cap or turban. But many people do not do so. An important point being discussed in India is that there is a political party in India whose leaders use the flag of their party on their cars. But when they are passing by, many police personnel mistake it to be the national flag and they salute it. People are confused and do not know whether the flag bears the Ashok Chakra or the symbol of 'hand'. I thank, if we want to give respect to the national flag in a proper way, then we should change the colours of the flag of Congress party. Only then can we respect the national flag in a proper way. (Interruptions). When you give the speeches, I never interrupt. (Interruptions).

* Translation of the speech originally delivered in Punjabi.
** Not Recorded.

श्री मधुसूदन मिस्त्री : आप इतिहास नहीं जानते।.(व्यवधान)

MR DEPUTY SPEAKER: Nothing should be recorded. मिस्त्री जी, आप बैठ जाइए।

.(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) .

SHRI SHARANJIT SINGH DHILLON: We know about history very well. Martyrs like Kartar Singh Sarabha and Bhagat Singh sacrificed their lives for the honour and prestige of this national flag. (Interruptions)

MR DEPUTY SPEAKER: Please sit down Mistry ji.

. (*Interruptions*)

MR DEPUTY SPEAKER: Nothing is to be recorded. Hon. Minister is speaking. Dhillon Sahib, please sit down. ढिल्लो जी, आप भी बैठ जाइए।

श्री माणिकराव होडल्या गावित : यह बिल राष्ट्रीय ध्वज के बारे में है, पार्टी के ध्वज के बारे में नहीं है। कोई पार्टी अपना सिम्बल, पार्टी का ध्वज लगा सकती है।.(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : लेकिन उसका मतलब कुछ और है।

.(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : वह लगा सकती है, लेकिन पार्टी के अंदर वह गलतफहमी हो जाती है।.(व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) .

उपाध्यक्ष महोदय : लाल सिंह जी, आपकी बारी आने वाली है।

SHRI SHARANJIT SINGH DHILLON: Mr Deputy Speaker Sir, there is no doubt that thousands of people of India sacrificed their lives to attain this revered national flag. Kartar Singh Sarabha and the great martyr Bhagat Singh gave up their lives for it. But, we will not allow the national flag to be the property of one

* Not Recorded.

single party. This national flag belongs to us also. We have great regard for the national flag. From the depth of our heart, we respect the national flag and we will

continue to do so. But I want to emphasise that only one party's flag is similar to the national flag of India, i.e., the flag of the Congress party. It creates confusion. So the flag of the Congress party should be changed. This is my demand.

श्री शैलेन्द्र कुमार : माननीय उपाध्यक्ष जी, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005 और भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक, 2005, जो सदन में लाया गया है, उसका पुरजोर समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। देश की आजादी के पूर्व 22 जुलाई, 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को महत्व मिला। जैसा अभी सम्माननीय सदस्यों ने इस सदन में कहा कि स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में चाहे वह हिन्दू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो या फारसी हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर वह हिन्दुस्तानी रहा है तो सब ने अपनी कुरबानी दी। स्वतंत्रता संग्राम में हमारा राष्ट्रीय ध्वज एक प्रकार से संघर्ष का साथी रहा है। जिस वक्त लोग तिरंगे झंडे को देखते थे, उस समय उनकी जज्बात और हौसला-अफजाई होती थी, यह आजादी की लड़ाई के लिए बड़े सम्मान की बात थी। राष्ट्रीय ध्वज को हम एकता, प्रेम और समन्वय का प्रतीक भी मानते हैं।

जैसा कि हमारे भारतीय संविधान में यह अधिकार प्रदत्त किया गया है। मौलिक अधिकार के तहत कहा गया है और उसका जो प्रतीक है, वह भी अपने आपमें बड़ा महत्व रखता है। जहां तक अभी सदन में सम्मानित सदस्यों ने इसके इस्तेमाल पर तमाम तरह की चर्चाएं की हैं, मैं तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस्तेमाल की भी एक सीमा रेखा तय होनी चाहिए,

इसे इतनी ज्यादा छूट न दी जाये कि इसका अपमान भी होने लगे। उसी के तहत यह विधेयक यहां पर लाया गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण कानून विधेयक, 1971, जिसे केबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने संशोधन का प्रस्ताव रखकर इस सदन में लाये हैं, उसके लिए भी मैं इस सरकार को और प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा।

तीन वर्ष पूर्व जनहित याचिका के द्वारा हमें यह अधिकार मिला कि हम अपने घरों पर, दफ्तरों पर या तमाम औद्योगिक स्थानों पर झंडे को फहरा सकते हैं। जैसा अभी अपने उद्बोधन में हमारे साथी भाई जिन्दल जी ने बड़े विस्तार से कहा और एक तरह से इसके गलत इस्तेमाल पर, जैसे कमर के नीचे इस्तेमाल पर रोक लगाई गई, यह भी बड़ी अच्छी बात है। उसी के तहत आपने जैसे रुमाल है, नैपकिन है, यह बात सत्य है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के इस्तेमाल उसका शारीरिक प्रयोग में करते हैं, अगर उसका गलत इस्तेमाल करके फेंक दें, अनादर कर दें तो यह भी राष्ट्रीय ध्वज का एक अपमान होता है, इसलिए इसका इस विधेयक में विरोध किया गया है। यह होना भी नहीं चाहिए। अभी कुछ वर्ष पूर्व रविवार का दिन था और दिल्ली में मैं जब गुजर रहा था तो इण्डिया गेट के पास मैं पहुंचा तो सेना भवन के भवन पर मुझे दिखाई पड़ा कि तिरंगा झंडा उल्टा लगा हुआ है। मुझे बड़ा अजीब सा लगा, मैं कहीं जा रहा था, तुरन्त गाड़ी को ले जाकर मैंने सेना भवन में, जबकि रविवार का दिन था। मैंने गाड़ी अन्दर लगाकर वहां गार्ड को कहा कि सबसे पहले तुम झंडा तो सही करो। सेना भवन पर अगर उल्टा झंडा लग जाये तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर वहां भी, सरकारी दफ्तरों

पर, खासकर हमारे जो सैन्य दफ्तर हैं, चाहे थल सेना, वायुसेना या नौसेना हो, इन जगहों पर प्रशिक्षित लोगों को लगाना चाहिए, वे सही तरीके से उसे सैल्यूट करें और उसे सम्मान दें और झंडा कभी उल्टा न लगे। खासकर मैं कभी-कभी देखता हूं, अभी जैसे हमारे सम्मानित सदस्य कांग्रेस के बारे में कह रहे थे कि उनका झंडा तिरंगा है और उसमें बीच में चिन्ह चरखे का, हाथ के पंजे का या जो भी चुनाव चिन्ह रहा हो, चक्र का तो काफी कन्फ्यूजन हो जाता है। मैंने देखा, कभी-कभी हमारे कांग्रेसी भाई, मैं भी पहले कांग्रेस में था, हमारे कुछ कांग्रेसी भाई इतने उत्साहित हो जाते हैं कि झंडा ही उल्टा लगा लेते हैं। तो वहां मेरी निगाह तुंत चली जाती है कि उल्टा झंडा लगा हुआ है। कांग्रेस भाइयों से मैं कहना चाहूंगा कि वह एक प्रशिक्षण शिविर अपने कार्यकर्ताओं के लिए आयोजित करें क्योंकि बड़े-बड़े नेताओं से भी गलती हो जाती है और उनकी गाड़ियों पर भी उलटा झंडा लग जाता है, फिर चाहे वह आपकी पार्टी का झंडा हो या राष्ट्रीय झंडा हो।

मुझे उस समय ताज्जुब हुआ, जब मैं इलाहबाद में था। मेरा क्षेत्र इलाहबाद में है। उस समय असम के मुख्यमंत्री श्री प्रफुल्ल कुमार महंत थे। उनका जब वहां आगमन हुआ तो मुझे भी किसी को लेने के लिए रेलवे स्टेशन जाना था। श्री प्रफुल्ल जी गाड़ी से उतरे और अपनी सरकारी गाड़ी में बैठे। वहां पर रोड़वेज की टैक्सी या गाड़ी होती है और उस पर राष्ट्रीय झंडा लगा होता है। वह चाहे किसी भी राज्य की गाड़ी हो, उस पर झंडा लगा होता है। उस गाड़ी पर चक्र वाला तिरंगा झंडा लगा होता है। वहां मौजूद जनता दल के या उनकी पार्टी से संबंधित सभी लोगों को बहुत बुरा लगा। उन्होंने कहा कि इस गाड़ी से आप नहीं जाएंगे, जब

तक कि इस पर पार्टी का झंडा नहीं लगेगा। मैं वहां पर खड़ा हो कर यह सब तमाशा देख रहा था कि ये लोग क्या कर रहे हैं। हमारे में से कोई मुख्यमंत्री हो जाता है, एमपी हो जाता है या एमएलए हो जाता है। चुनाव के वक्त पार्टी आधार पर चुनाव लड़ा जाता है। हमारे विचारों में विभेद हो सकता है, लेकिन चुनने के बाद हम पूरे क्षेत्र के एमपी या एमएलए हो जाते हैं या पूरे क्षेत्र के मुख्यमंत्री हो जाते हैं, लेकिन राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान तो हर समय करना चाहिए। आपको विश्वास नहीं होगा कि जब तक उन्होंने पार्टी का झंडा नहीं लगाया, तब तक उनकी गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकी। यह अजीब सी स्थिति कभी-कभी देखने को मिल जाती है और राष्ट्रीय ध्वज के साथ सम्मान और अपमान की बात आ जाती है।

खेलों के बारे में इस विधेयक में मैं पढ़ रहा था कि टी-शर्ट, कैप, बैट या हेलमेट पर हिंदुस्तान के खिलाड़ी, चाहे वह किसी भी खेल से संबंधित हों, चाहे वालीबाल, हॉकी, निशानेबाजी से जुड़े हों, अपने खेल से संबंधित उपकरणों पर या उनकी पोशाकों पर राष्ट्रीय ध्वज लगाते हैं। मेरे खयाल से यह बुरी बात नहीं है। इसे एलाओ करना चाहिए, इसका सम्मान करना चाहिए। इससे खिलाड़ी की हिम्मत बढ़ती है तथा राष्ट्र प्रेम का जज्बा आता है। इससे हौसलाअफजाही होती है कि हम हिंदुस्तान के लिए खेल रहे हैं। जैसा कि एक माननीय सदस्य ने कहा, राठौड़ जी जब शूटिंग में ओलम्पिक में पदक ले कर आए थे, तो उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज को लपेटा हुआ था। जब हमने यह दृश्य टीवी पर देखा, तो बहुत अच्छा लगा। राष्ट्रीय ध्वज का इससे सम्मान होता है और खिलाड़ी की हौसलाअफजाही

होती है। उसे अच्छा खेलने की और ज्यादा ताकत मिलती है। इसलिए हमें इस संबंध में छूट देनी चाहिए। फिर चाहे वह कोई भी खेल हो।

अभी मैं लखनऊ से गुजर रहा था। रायबरेली एक जिला है जहां से माननीय सोनिया गांधी जी एमपी चुन कर आई हैं। हम नरेश स्वीट हाउस से नाश्ता करके निकल रहे थे। वहां गुटका बिक रहा था, जिस पर लिखा हुआ था 'विधायक गुटका'। हमने सोचा कि कुछ दिनों में 'सांसद' नाम से भी गुटका आ जाएगा। हमने उसकी चार-पांच लड़ियां खरीद लीं, ताकि हम इन्हें सदन में दिखा सकें। हमें मालूम नहीं था कि आज यह विधेयक आने वाला है अन्यथा हम वे लड़ियां आपको अवश्य दिखाते। "विधायक" शब्द लेजिस्लेचर से संबंधित है। इस तरह के आइटमों पर रोक लगनी चाहिए। यह मामला वहां की विधान सभा में उठाया गया था। इस समय 'मंत्री' नाम से भी गुटका चला है। ऐसे ब्रांडों पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि इन चीजों का उपयोग हानिकारक है। लोग इन्हें खाकर उनके पाउच को कूड़े में फैंक देते हैं। इससे विधायिका का अपमान होता है। यह सब बंद होना चाहिए। हमने अभी टीवी पर देखा था कि चर्बी से डालडा घी बना कर बेचा जा रहा है। ऐसे उत्पादों पर भी रोक लगनी चाहिए। जहां हमारे राष्ट्रीय प्रतीकों की बात आती हो, वहां इन चीजों पर रोक लगनी चाहिए।

मैं भाई नवीन जिंदल जी को आज के इस विधेयक के माध्यम से विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूं। मैं पर्सनल, पब्लिक ग्रिवान्सेज़, लॉ एंड जस्टिस नियम समिति में भी मैम्बर हूं और इत्तिफाक से मुझे वह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे आपका पत्र भी मिला था। आपने हाउस के अंदर जो चिन्ह दिया है, उसे मैं

कुछ दिनों तक लगाकर आता था, लेकिन इतनी जल्दी होती है कि हम कपड़े पहनने के बाद उसे लगाना भूल जाते हैं, नहीं तो मैं उसे रोज लगाकर आता। मैंने आपको जब भी देखा, चाहे आप कुर्ता-पजामा में हों, चाहे कोट में हों या पैंट-शर्ट में हो, आप अपना राष्ट्रीय ध्वज जरूर लगाकर आते हैं। इसलिए मैं आपको विशेष तौर पर बधाई देना चाहता हूं। आपने सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रीय ध्वज को जो सम्मान दिलाकर आम पब्लिक के लिए एलाऊ करवाया है, उसके लिए भी मैं आपको विशेष तौर पर बधाई देना चाहूंगा।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ इन दोनों विधेयकों का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्र-गौरव अपमान निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005 और भारत का राज्य संप्रतीक (अनुचित प्रयोग प्रतिषेध) विधेयक, 2005 जो मंत्री जी के माध्यम से प्रस्तुत किए गए हैं, का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और यूपीए सरकार, जो इन दोनों महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में लाए हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही माननीय सांसद भाई नवीन जिंदल जी, जिनके अनवरत प्रयास से, उन्होंने कोर्ट से लेकर सदन तक जो अनवरत प्रयास किया है, उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। पहले राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज का इस्तेमाल करने की इजाजत थी, लेकिन उनका प्रतिफल है कि आज इस कानून के माध्यम

से हमें आजादी मिल गई कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का अनवरत इस्तेमाल करके देश की इज्जत और उसके सम्मान को बढ़ाने का काम कर सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज बहुत सी कुर्बानियों के बाद प्राप्त हो सका और हमें आजादी मिली। इसके पीछे बहुत लम्बा इतिहास है, न जाने कितनी मां और बहनों की मांग के सिंदूर मिट गए, न जाने कितने लोगों ने अपनी शहादत देकर इस देश को आजाद करवाने का काम किया, मैं उसकी तह में नहीं जाना चाहता, यह लम्बा इतिहास है, जिसे करीब-करीब सब लोग जानते हैं। जो तिरंगा हमारी शान है, आज हम उन पुरखों के प्रति भी इस सभा में श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिनके बलिदान और कुर्बानी के बाद हमें राष्ट्रीय ध्वज अपनाने को मिला और हम स्वतंत्र भारत के नागरिक कहलाए।

आज कई माननीय सदस्यों ने अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त की। यह अच्छी बात है कि हम अब इसका इस्तेमाल अनवरत रूप से बहुत सी जगहों पर कर पाएंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि कहीं इस झंडे का दुरुपयोग न हो जाए। इसके दुरुपयोग के प्रति निश्चित तौर पर आशंका है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा, आपने कानून बनाया है और आप सख्ती भी कर रहे हैं, पहले जो सजा थी, आपने इस कानून के माध्यम से उसे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन यह ख्याल जरूर रखा जाए कि इसका गलत इस्तेमाल न हो।

आपने इस विधेयक के माध्यम से कुछ सख्ती भी बरती है। कई चीजों के इस्तेमाल पर आपने राष्ट्रीय ध्वज के प्रयोग न करने की रोक लगाई है। आपने बिल में चर्चा की है कि हम ऐसी जगहों पर इसका इस्तेमाल नहीं करने देंगे जैसे

कुशनों, रूमालों, नैपकिनों, पोशाक सामग्री, काशीदारी और छपाई आदि। इसके बावजूद भी हमें यह आशंका है कि यदि हमें इसके प्रयोग की आजादी मिल रही है, तो निश्चित तौर पर इसका दुरुपयोग न हो। हम जरूर इस बात का ख्याल रखेंगे।

अभी भाई नवीन जिंदल जी ने जो कहा, वह ठीक कहा। इनकी देश और विदेश की जो अनुभूति रही है, उसको इन्होंने यहां व्यक्त किया है। वही अनुभूति हम सब लोगों के मन में भी है। हम सब आपस की वैमनस्यता, दुर्भाव और दलगत भावनाओं से ओतप्रोत होते हैं जिससे आपसी प्रेम और मोहब्बत खत्म हो जाता है। लेकिन ये सब चीजें हमें विदेशों में देखने को नहीं मिलती। वहां इन सब चीजों से ऊपर हमें इस बात का अहसास होता है कि हम सबसे पहले हिन्दुस्तानी हैं। मैं सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जो भावना देश के बाहर जाकर हमारे मन में आती है, वही भावना देश में सब लोगों को मन में हो, तो इस देश में सारे भेदभाव हट जायेंगे। यह तिरंगा हमारी आजादी का प्रतीक है। यह हमें अहसास दिलाता है कि सबसे पहले हम भारतीय हैं। अगर यह भारतीय भावना हमारे मन में हमेशा रहेगी, तो दंगा-फसाद, कटुता, भेदभाव. जात-पात, धर्म आदि की जो समस्याएं हैं, वे सब दूर हो जायेंगी। निश्चित तौर पर हमारे भारत के नौजवानों में क्षमता और कुव्वत है। इसके तहत यह देश विश्व में नम्बर वन का देश कहलायेगा।

मैं निवेदन करूंगा कि आज हम इस संकल्प के साथ इस विधेयक को पास करने के लिए आये हैं। जिन भावनाओं के साथ हम इस विधेयक पर मुहर लगाने

का काम कर रहे हैं, चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों, अगर यही भावना सबके मन में रहे तो निश्चित तौर पर हिन्दुस्तान आगे बढ़ेगा और कोई माई का लाल हिन्दुस्तान को आंख दिखाने का काम नहीं करेगा। मगर आज चिंता का विषय यह है कि आज हम सब उन भावनाओं से अलग होते जा रहे हैं। हमारे मन में कटुता भरती जा रही है। आज का भारत और पिछले 20 वर्षों के भारत की सोच में बदलाव आया है। लोगों में आपसी मनमुटाव आया है। मैं अंतर्दिल से अपनी बात रख रहा हूं कि देश की एकता के लिए, देश की तरक्की के लिए हमें दलगत भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए। यह भावना आज इस देश में है। जब भी देश पर कोई विपत्ति आती है, तो हम सब लोग दलगत भावना से ऊपर उठकर भारत माता की शान तिरंगे के लिए एक होकर लड़ने का काम करते है और दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। मगर आपसी सद्भावना, एकता और मोहब्बत की जरूरत है ताकि इस तिरंगे की शान और आगे बढ़े और हमारा देश नम्बर वन पर आये। इसके लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यूपीए सरकार को, प्रधान मंत्री श्री मन मोहन सिंह जी को कोटिशः धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस विधेयक को लाकर एक उचित कदम उठाया है। मगर वहीं यह भी सत्य है कि इस देश के तिरंगे की शान हमेशा रहनी चाहिए। जब तिरंगे पर आफत आती है तो सरहदों पर रहने वाले जवान इसकी रक्षा करते हैं। जब वे तिरंगे को हाथ में लेते हैं तो उनमें जोश पैदा होता है। उनमें सद्भावना, एकता और मोहब्बत पैदा होती है। जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे देश के जवान सरहदों पर अपनी जान की बाजी लगाते हैं। वे इस

तिरंगे की हिफाजत और हमारी सुरक्षा करने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि वह मनोभावना, वह सोच देश के एक-एक व्यक्ति में आये तभी तिरंगे की शान रहेगी। जिस भावना के अनुरूप आज यह विधेयक आया है, उसकी इज्जत और शान रहेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः मंत्री जी और सदन के तमाम लोगों, चाहे इस पक्ष के लोग हों या उस पक्ष के लोग हों, उन सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने हृदय से इन दोनों विधेयकों का समर्थन किया है।

इस विश्वास के साथ तिरंगे की हम लाज रखेंगे और तिरंगे पर कभी आंच नहीं आने देंगे चाहे इसके लिए हम सभी माननीय सदस्यों को अपना खून देने का काम भी करना पड़े लेकिन हम इस तिरंगे की शान को कभी गिरने नहीं देंगे।

महोदय, मैं पुनः इन दोनों विधेयकों का समर्थन करते हुए और माननीय मंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

SHRIMATI V. RADHIKA SELVI (TIRUCHENDUR): Thank you for giving me this opportunity to participate in this discussion and also I thank our beloved leader Dr. Kalaignar and Tamil's Jupitar Talapathi M.K. Stalin.

Sir, the Prevention of Insults to National Honour Bill, 2005 is the most important Bill. First of all, I thank our Home Minister for amending this Bill which makes really happy the patriots and sportsmen. In the 50s, the National flag was hoisted on the top of dwelling houses on 26th January, and 15th of August. The response was spontaneous. In many private and public functions and ceremonies, National flags were hoisted with dignity. But now such enthusiasm has faded

away. People, especially children, were not taught about use and abuse of the National flag. A very few people are use National symbol properly.

Sir, paper made flags are waived by spectators on occasions, namely, national cultural programmes, sports events, etc. and such flags are thrown on the ground after the event. This should not happen. People should be educated properly for the usage of flags.

Anti-social elements indulge in various acts like burning, mutilating, defacing, defiling, disfiguring, destroying, etc. thus bringing the flag into contempt. These are offences, and can be punished with imprisonment or with a fine or with both. The Government should follow it.

Now, a person can have clothes or the caps with the tricolour printed on it with respectful manner. But it has also been proposed not to have printing of tricolour on the garments which are used below the vests. The use of tricolour is prohibited for pillows, gloves, napkins, handkerchiefs and underwears. This decision of the Government is worth appreciate. The National flag is an indication of every one's dignity and respect.

Sir, the guidelines on the uses of flag must be propagated among school children, etc. It may also be included in the school curriculum. The common people should also know the guidelines for the uses of National flag. They are not aware of the importance of the uses or abuses. This problem can be overcome by having propaganda in TV, radio and newspapers. The flag can and should be used widely by more citizens but should not be reduced as a fashion accessory. The honour and respect of the National flag will be protected by this Bill.

I support this Bill on behalf of DMK.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, Shri Avinash Rai Khanna. Now, it is 1800 hours and I have 14 more Members to speak on this very Bill. If the House agree, I think the discussion in this Bill will continue tomorrow. After this speaker, we will take up the Special Mentions.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

18.00 hrs.

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूँ की आपने मुझे इस राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक से सम्बंधित विधेयक पर बोलने का मौका दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : खन्ना जी, प्लीज आप कल बोलिए। हम इस विधेयक पर चर्चा कल भी जारी रखेंगे।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, the House would take up Special Mentions.

Shri Anant Gude - not present; Shri Shailendra Kumar - not present; Shri Kishan Singh Sangwan.

श्री किशन सिंह सांगवान (सोनीपत) : उपाध्यक्ष महोदय, पंजाब रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट के मुताबिक हरियाणा और पंजाब का बंटवारा हुआ था और वर्ष 1966 में हरियाणा प्रदेश पंजाब से अलग होकर एक सूबा बना था। इस बंटवारे में शाह कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उसके मुताबिक चण्डीगढ़, खरड तहसील और फाजिल्का के गांव हरियाणा को दिए गए थे। अब यह 39 साल पहले की बात हो गयी है, लेकिन आज तक वह फैसला पूरी तरह से लागू नहीं हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब यह बंटवारा हुआ, अस्थायी तौर पर चण्डीगढ़ को दोनों प्रान्तों की राजधानी बना दिया गया और पंजाब और हरियाणा का ज्वाइंट हाईकोर्ट बना दिया गया था। वह फैसला अस्थायी था। लेकिन लगभग 40 साल हो गए हैं और आज तक हरियाणा को न तो अलग से हाईकोर्ट मिला और न ही अलग राजधानी मिली। इस बात से हरियाणा की जनता बहुत दुखी है। हर साल